(152)

4680
10-12-14

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

Spl. Sec.

O. S. D. (K)

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0–1/श0 स्था0 नि0/ 4455/1992 दिनांकः– 03/12/14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार ,पटना

महाशय,

नगर परिषद् सहरसा के वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 504/14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद् बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

03/12/14

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
11 DEC 2014
संख्या 9417
बिहार, पटना

SO-7
11/12/14

232
15/12/14

(151)

नगर परिषद, सहरसा
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 504/14–15
अंकेक्षण वर्ष– 2009–10 से 12–13

1. प्रस्तावना

नगर परिषद, सहरसा के वर्ष 2009–10 से 12–13 तक के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना के एक लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 15.04.13 से 04.05.13 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन – अनुपलब्ध

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में जॉच किये गये अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट– । तथा लेखापरीक्षा में उपस्थापित नहीं किए अथवा असंधारित अभिलेखों सूची परिशिष्ट– ॥ में दी गयी है।

4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा के दौरान बार– बार अनुरोध करने के बावजूद भी पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से एक भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन, लेखापरीक्षा में उपस्थापित नहीं किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखापरीक्षा दल द्वारा नहीं की जा सकी।

5. महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा उपलब्धियॉं

क्र.सं.	कंडिका सं.	विवरण
1	8	कम जमा/नहीं जमा– 2224870
2	12	डी.पी.आर. पर अनियमित भुगतान– 22.00 लाख
3	14	संदिग्ध व्यय– 3157500.00
4	22	फार्म 'एम' एवं 'एन' के बिना– 12.45 लाख का भुगतान
5	23	मोबाईल टावर से 35.49 लाख की वसूली नहीं
6	24	दैनिक वेतनकर्मी पर भुगतान 112.80 लाख

6. वित्त

सहरसा, नगर परिषद राज्य/केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के अनुदान तथा स्वयं के आय स्रोतों से वित्त सम्पोषित होती है। नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न रोकड़ बहियों के अनुसार वर्ष 2009–10 से 12–13 के आय– व्यय का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

क्र.सं.	विवरण	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1	प्रारंभिक शेष	42859044.66	5797765.66	74319402.66	117607631.66
2	प्राप्ति				
(i)	अनुदान	35386378.00	42540073.00	58690138.00	78476782.00
(ii)	स्वयं के स्रोत आय	6571190.00	5160816.00	17367104.00	7679416.00
(iii)	अन्य	588211.00	527197.00	160053.00	716629.00
3	कुल प्राप्ति	85404823.66	106205681.66	150536697.66	204480458.66
4	व्यय				
(i)	योजना	17272536.00	18876262.00	15727230.00	33406761.00
(ii)	वेतन व स्थापना	10154662.00	13010017.00	17201836.00	7568253.00
5	कुल व्यय	27427198.00	31886279.00	32929066.00	40975014.00
5	अन्तशेष	57977625.66	74319402.66	117607631.66	163505444.66

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– III पर)

सूद पंजी का संधारण 25.07.11 तक किया गया था। रोकड़ बही में व्यय शीर्ष तथा वाउचर नं0 दर्ज नहीं था। उपर्युक्त रोकड़ बहियों से संबंधित सिर्फ निम्नलिखित पासबुक उपलब्ध कराये गये–

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (2130987242)	603375 (01.01.10)
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (1007241010005361)	13331907 (02.02.13)
	13935282

रोकड़ बहियों का अंतशेष 163505444.66 है जबकि पासबुक का शेष 13935282 है। अतः 149570162.66 अन्तर का कारण स्पष्ट किया जाय।

6(a) ट्रेजरी पासबुक एवं रोकड़पाल रोकड़ बही में अन्तर

ट्रेजरी पासबुक एवं रोकड़पाल रोकड़ बही के मिलान के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी–

(A) ट्रेजरी पासबुक के प्राप्ति शीर्ष में दर्ज राशि रोकड़पालक रोकड़ बही के प्राप्ति शीर्ष में दर्ज नहीं है।

क्र.सं.	वर्ष	राशि	तिथि
1	2011–12	159459.00	03.08.11
2	2012–13	139500.00	22.01.13
3	–वही–	5000000.00	22.02.13

(B) ट्रेजरी पासबुक के व्यय शीर्ष में है, परन्तु रोकड़पाल रोकड़ बही के व्यय शीर्ष में दर्ज नहीं पायी गयी।

क्र.सं.	वर्ष	राशि	तिथि
1	2012–13	21500.00	07.03.13
2	–वही–	95820.00	07.03.13

(C) रोकड़पाल रोकड़ बही के प्राप्ति शीर्ष में दर्ज राशि दर्ज पायी गयी, परन्तु ट्रेजरी पासबुक के प्राप्ति शीर्ष में वहीं राशि दर्ज नहीं पायी गयी।

क्र.सं.	वर्ष	राशि	तिथि	चेक सं.
1	2011–12	245000.00	12.05.11	
2	–वही–	15389.00	14.02.12	99774
3	–वही–	35682.00	14.02.12	99871

अन्तर का मिलान कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाए।

कार्यपालक पदाधिकारी को यह सुझाव दिया जाता है कि इन अनियमितताओं पर विशेष ध्यान दें। ट्रेजरी पासबुक का संधारण ठीक तरीके से किया जाए एवं समय– समय पर इसका मिलान रोकड़ पाल रोकड़ बही से किया जाए ताकि बड़ी वित्तीय अनियमितताओं से बचा जा सके।

6(b) राशि का अवरोधन (129 लाख)

(A) नाला निर्माण

लेखापाल रोकड़ बही (2009–10 से 12–13) के अवलोकन से यह पता चला कि पत्र सं. 1206 दिनांक 28.02.11 द्वारा राशि 12937000 नाला निर्माण करने के लिए सहरसा, नगर परिषद को प्राप्त हुई।

परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक सारी राशि ज्यों की त्यों पी.एल. खाता में पड़ी रही। अतः नाला निर्माण की राशि ₹12937000 का अवरोधन हुआ। राशि नहीं खर्च करने का कारण अंकेक्षण को नहीं बताया गया।

(B) बी.आर.जी.एफ.

बी.आर.जी.एफ. रोकड़ बही के अवलोकन से यह पता चला कि इस मद में 31.03.13 तक राशि 11405028 शेष थी। विवरणी इस प्रकार है–

विवरण	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
प्रारंभिक शेष	6533583.00	16966838.00	10611168.00	12930976.00
प्राप्ति	17876000.00	7909000.00	14210000.00	7991000
कुल	24409583.00	24875838.00	24821168.00	20921976.00
खर्च	7442745.00	14264670.00	11890192.00	9516948.00
अन्तशेष	16966838.00	10611168.00	12930976.00	11405028.00
खर्च का प्रतिशत	30%	57%	48%	45%

इतनी बड़ी राशि के शेष रहने का कारण अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया। योजना की शेष राशि को जल्द से जल्द खर्च करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाए, ताकि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजना के उद्देश्यों की पूर्त्ति हो सके।

148

6(C)– निरस्त

7. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था हालांकि लेखापाल रोकड़ बही के अवलोकन से यह पता चला कि अंकेक्षण वर्ष 2009–10 से 12–13 के दौरान राशि 219747836.00 नगर परिषद को प्राप्त हुई। विवरणी इस प्रकार है–

क्र.सं.	वर्ष	राशि
1	2009–10	36901873.00
2	2010–11	41083043.00
3	2011–12	68590138.00
4	2012–13	73226782.00
	कुल	219747836.00

(विवरणी परिशिष्ट– IV पर)

सरकारी अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय। साथ ही साथ राशि 219747836 का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

8. नहीं जमा/कम जमा (22.25 लाख)

फार्म 'एच' एवं 'एम' रसीदों की नमूना जॉच में पाया गया कि 4245079 विभिन्न कर्मचारियों/वसूलीकर्त्ताओं (विस्तृत विवरण परिशिष्ट– V पर) द्वारा वसूल किया गया। वसूली/संग्रहण की राशि नियमानुसार संग्रहण की तिथि को या उसके अगले दिन पूर्वाहन तक पी.एल. खाता/बैंक खाता में जमाकर दी जानी चाहिए थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। संग्रहण की राशि में से 2020209 ही निधि में जमा किया गया, शेष राशि 2224870 संग्रहकर्त्ता द्वारा अपने पास रख लिया गया। अतः 2224870 यथाशीघ्र जमाकर अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

9. रसीदों का अप्रस्तुतीकरण

क्र.सं.	M.R.No	नाम (श्री)
1	3801–3900	देवनारायण साहू
2	4201–4300	संतोष कुमार
3	4401–4500 5001–5100, 7701–7800, 7801–7900, 8001–8100, 8201–8300, 8301–8400	ललित कुमार

4	4701–4800	गणेश लाल देव
5	9201–9300	मुरारी कांत मोती

क्र.सं.	H.R.No	नाम (श्री)
1	13601–13700	मेघम बैठा
2	15701–15800	मेघम बैठा
3	24301–24400	देवनारायण साहू
4	26401–26500	रविशंकर सिन्हा
5	26501–26600	मेघम बैठा
6	601–700	प्रमित बैठा
7	17601–17700	मेघम बैठा
8	2601–2700	देवनारायण साह

उपर्युक्त 'एच' एवं 'एम' रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया, अतः इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय। दिनांक 17.10.08 के पहले का 'एच' तथा 'एम' रसीद का भंडार पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपर्युक्त रसीद भंडार पंजी अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

10. निधि का ग्रामीण बैंक में रखा जाना

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक DGBA GAD No 229/42.01.001/2003-04 दिनांक 29.08.03 के अनुसार सरकारी लेन– देन (Govt. business) राष्ट्रीय बैंकों तथा चार प्राइवेट बैंकों (HDFC bank ltd, ICICI bank ltd, IDBI bank ltd & UTI bank Axis bank ltd.) के द्वारा किया जाना चाहिए। परन्तु नगर परिषद का दो खाता कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में था, खाता सं0 8769 तथा खाता सं0 15145784 था। नगर परिषद को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार खाता ग्रामीण बैंक तथा कापरेटिव बैंक में नहीं रखना चाहिए। अतः नगर परिषद उपर्युक्त बैंक खातों को बन्द कर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंकों में रख सकते हैं।

11. रैन बसेरा बन्दोबस्ती

रैन बसेरा की बन्दोबस्ती 2009–10 से 12–13 तक श्री शिवल राय पिता– स्व0 तिलकधारी एवं श्री विनोद कुमार पिता– तीर्थ लाल झा को आवंटित की गयी। बन्दोबस्ती की राशि इस प्रकार थी–

2009–10	10770.00
2010–11	15000.00

इस शर्त्त के साथ की प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत की बढोतरी की जायेगी। राशि जमा की विवरणी–

146

Sl.No	MR No	date	Amtt.
1	5329.00	15.01.11	10770.00
2	5330.00	15.01.11	12030.00
3	5926.00	15.09.11	15375.00
4	8875.00	11.02.13	15759.00
			53934.00

बन्दोबस्तीधारी एवं कार्यालय के बीच एकरारनामा नहीं किया गया था। 2009–10 से 12–13 तक बन्दोबस्त राशि के रूप में बन्दोबस्तीधारी से 53934.00 की वसूली की गयी जबकि उपरोक्त वित्तीय वर्ष में 55770.00 की वसूली की जानी चाहिए थी। फलतः 1836 की कम वसूली की गई। साथ ही 3 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क पर एकरारनामा नहीं होने से 450 की हानि हुई। अतः 2286 संबंधित/जिम्मेदार व्यक्ति से वसूलनीय है। साथ ही रैन बसेरा सैरात की श्रेणी में है इसकी पुष्टी की जाय।

12. डी.पी.आर. पर अनियमित भुगतान (22.00 लाख)

डी.पी.आर. से संबंधित संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि सहरसा नगर परिषद ने U.I.D.S.S.M.T. एवं IHSDP पर डी.पी.आर. बनाने के लिए दैनिक सामाचार पत्र में एक निविदा प्रकाशित की। (10.01.07)

इच्छुक संस्थान श्री सरयु बाबु इंजीनियरिंग ने सहरसा नगर परिषद से सम्पर्क साधा, तत्पश्चात सरयु बाबू इंजीनियरिंग संस्थान के नाम कार्यादेश निर्गत किया गया। (178/29.05.09)

संस्थान एवं कार्यपालक पदा0, सहरसा नगर परिषद के बीच Memorandum of understanding (Mou) पर इस शर्त्त पर हस्ताक्षर किया गया, कि "जबतक डी.पी.आर., केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं होता है, तबतक संस्थान को अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। (29.05.09)

आगे पत्र सं0– 937/11.12.10 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सरयु बाबु संस्थान द्वारा 16 वार्ड का डी.पी.आर. तैयार किया गया एवं केन्द्र सरकार द्वारा डी.पी.आर. अनुमोदित भी किया गया। (13.12.10)

शेष 24 वार्ड का डी.पी.आर. अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं बनाया गया, परन्तु सरयु बाबु इंजिनियरिंग संस्थान को राशि 2200000 का भुगतान किया गया।

क्र.सं.	चेक सं.	दिनांक	राशि
1	99821	14.12.10	1000000.00
2	99888	31.05.11	1200000.00
			2200000.00

अंकेक्षण आपत्ति

डी.पी.आर. केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद राशि के भुगतान करने की शर्त्त पर सरयु बाबु संस्थान एवं कार्यपालक पदा0 के बीच MoUपर हस्ताक्षर/समझौता किया गया था, तो 24

वार्ड का डी.पी.आर. बनाए बिना ही संस्थान को नगर परिषद द्वारा राशि 2200000 का भुगतान किया गया, जो अनियमित है।

क्योंकि, अगर संस्थान द्वारा शेष 24 वार्ड का डी.पी.आर. तैयार नहीं किया जाता है या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो 16 वार्ड का तैयार डी.पी.आर. useless हो जायेगा क्योंकि योजना को पूरे नगर परिषद क्षेत्र में लागु की जानी थी।

अतः शेष 24 वार्ड का डी.पी.आर. इसी संस्थान द्वारा तैयार किए जाने तक एवं केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने तक भुगतान की गयी राशि 2200000 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

13. टाटा टीपर, टाटा एल.पी.के. एवं टाटा ACE टीपर का कय

उपर्युक्त कय से संबंधित संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि टाटा टीपर, टाटा एल.पी. के. एवं एसीई टीपर के कय करने के लिए सहरसा नगर परिषद द्वारा दैनिक जागरण में एक निविदा निकाली गयी। (09.02.11)

निविदा के आलोक में तीन इच्छुक आपूर्त्तिकर्त्ता ने निविदा डाली।

1 आर.ए. हिमनसिंकटा एण्ड कं0

2 शंकर इक्युपमेंट लिमिटेड

3 मौर्या मोटर्स

नगर परिषद की सामान्य बैठक (19.02.11) में 23 सदस्यों की 3 में निविदा खोली गयी एवं निम्न दर वाले मौर्या मोटर्स का चयन सामानों की आपूर्त्ति हेतु किया गया तथा कार्यादेश निर्गत किया गया।

क्र.सं.	सामान का नाम	कार्यादेश सं.	राशि (लाख में)
1	टाटा टीपर	390/11.04.11	8.20
2	एसीई टीपर	389/11.04.11	4.40
3	टाटा एल.पी.के.	388/11.04.11	14.70

सामानों की आपूर्त्ति की गयी एवं नगर परिषद द्वारा राशि का भुगतान किया गया।

क्र.सं.	चेक सं.	दिनांक	राशि
1	99914	23.07.11	1112300.00
2	99915	27.07.11	1286333.00
3	99946	15.12.11	12700.00
4	99947	15.12.11	358067.00
5	99948	15.12.11	428778.00
			3198178.00

अंकेक्षण आपत्ति–

1 दैनिक जागरण में निविदा की प्रति संचिका में संलग्न नहीं पायी गयी।

(145)

2 निविदा– 19.02.11 को नगर परिषद की आम बैठक में खोली गयी, जबकि आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा दो अलग–अलग तिथियों में निविदा डाली गयी।

क्र.सं.	आपूर्त्तिकर्त्ता का नाम	तिथि
1	मौर्या मोटर्स	12.02.11
2	शंकर इक्युपमेंट	02.03.11
3	आर.ए. हिमसतसिंगा एण्ड क0	02.03.11

उपरोक्त विवरणी से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि क्र.सं. 2 एवं 3 के आपूर्त्तिकर्त्ता ने निविदा खोलने के बाद की तिथि में निविदा डाली। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपूर्त्तिकर्त्ता के चयन में प्रतिस्पर्धा का घोर अभाव पाया गया एवं सिर्फ मौर्या मोटर्स को ही प्राथमिकता दी गयी।

अतः इसे एकल निविदा माना जा सकता है एवं सम्पूर्ण प्रकिया संदेहास्पद है। अतः राशि 2817778 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

3 आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा फार्म सी–3 संलग्न नहीं किया गया, अतः बिहार वैट अधिनियम 2005 के धारा 28 एवं 40 के तहत सरकारी कार्यालय को अंतिम भुगतान करते समय वैट की राशि प्रस्तावित दर पर कटौती करना चाहिए था, परन्तु यह पाया गया कि अंतिम भुगतान करते समय वैट की राशि की कटौती नहीं की गयी, फलतः राशि 380400 का अधिक भुगतान हुआ। अतः राशि 380400 संबंधित एवं जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूलनीय है।

14. योजना सं.–01/07–08

योजना का नाम– प्रशासनिक भवन निर्माण

प्रा0 राशि– 5172100

कार्यादेश– 511/06.06.07

कुल अग्रिम– 3157500

मापी पुस्त संलग्न नहीं

अभिकर्त्ता– श्री छोटकन राय (प्रभारी अमीन)

योजना के समर्थन में जो कार्यादेश लगाया गया था उसके अनुसार कार्य तीन माह के अन्दर समाप्त करना था। परन्तु कार्य के समर्थन में मापी पुस्त संलग्न नहीं था, जिससे कार्य की स्थिति स्पष्ट हो सके। नगर परिषद द्वारा पत्रांक 569/16.07.10 को जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया था कि कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कर उसे पूर्ण कर अभिश्रव आदि प्रस्तुत करे। उस पत्रांक 569 के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। योजना के समर्थन में जो ईंट का अभिश्रव लगाया गया था, वह निम्नलिखित था–

ब्रिकेता	ईंट	दिनांक	राशि
गुप्ता ब्रिक्स	22702	22.06.07	57277
गुप्ता ब्रिक्स	17142	23.08.08	50769
गुप्ता ब्रिक्स	54000	15.10.08	159948

उपर्युक्त अभिश्रव लेटर हेड पर था जो मान्य नहीं है। कार्यादेश के 6 साल बीत जाने के बाद कार्य की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। उपर्युक्त योजना की भौतिक स्थिति/कार्य कियान्वयन की स्थिति की उच्च स्तरीय जॉच कर अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय। योजना में पायी गयी की कार्य प्रारंभ की स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी। अतः कुल अग्रिम 3157500 को अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

15. योजना का नाम– थाना चौक के निकट (मुख्य डाकघर) रैन बसेरा का उत्क्रमण

प्रा0 राशि– 386000

व्यय– 100000 (चेक सं. 613581/13.01.12)

मापी पुस्त संलग्न नहीं

मस्टर रौल संलग्न नहीं

कार्यादेश– पत्रांक 314/15.01.11

अभिकर्त्ता– श्री ललित कुमार (क0अ0)

योजना के समर्थन में जो कार्यादेश लगाया गया था, वह 15.01.11 का था, जिसके अनुसार कार्य तीन सप्ताह के अन्दर पूर्ण करना था। कार्य किये जाने के समर्थन में कोई भी साक्ष्य संचिका में उपलब्ध नहीं था, न तो मस्टर रौल न ही मापी पुस्त। अतः 100000 को मापीपुस्त, मस्टर रौल प्रस्तुत किये जाने तक अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

16. सोडियम वेभर लाइट की खरीदारी (1.68 लाख)

कय से संबंधित संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि 27 सोडियम वेभर लाइट के कय के लिए टेंडर निकाला गया (1/2011–12), तत्पश्चात दो इच्छुक आपूर्त्तिकर्त्ता के कोटेशन पर नगर परिषद की सामान्य बैठक में 8 सदस्यों की उपस्थिति में विचार किया गया (29.09.11) एवं उच्च दर वाले आपूत्तिकर्त्ता "मॉ गायत्री एसोसिएट को 6250 प्रति यूनिट की दर पर आपूर्त्ति करने के लिए आदेश निर्गत किया गया। (906/क/दिनांक 21.10.11)

समान दो फेज में आपूर्त्ति की गयी एवं नगर परिषद द्वारा राशि 167940 का भुगतान किया गया।

क्र.सं.	चेक सं.	राशि	सामानों की सं.
1	A-564894/ 18.10.12	111960	18
2	A-565034/ 07.03.13	55980	09
		167940	27

वार्ड सं. 29, 20, 13 के वार्ड पार्षदों द्वारा सामानों के अधिष्ठापन का प्रमाण पत्र दिया एवं सामानों के गुणवत्ता की जॉच श्री विजय दास, बिजली मिस्त्री द्वारा की गयी।

अंकेक्षण आपत्ति

(142)

1 आपूर्त्तिकर्त्ता ने बिहार वैट अधिनियम 2005 के नियम 28 एवं 40 के अनुसार फार्म सी– नगर परिषद, सहरसा को आपूर्त्ति के दौरान समर्पित नहीं किया था, फलतः अंतिम भुगतान करते समय कार्यालय द्वारा वैट की राशि 6460 घटाकर ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना चाहिए था, परन्तु अवलोकन में पाया गया कि राशि की कटौती नहीं की गयी थी, फलतः राशि 6460 का अधिक भुगतान हुआ, जो जिम्मेवार एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूलनीय है।

2 निविदा इच्छुक आपूर्त्तिकर्ता द्वारा 29.09.11 को समर्पित किया गया एवं 29.09.11 को ही 8 व्यक्तियों की उपस्थिति में टेंडर 29.09.11 को खोला गया, आपूर्त्तिकर्त्ता का चयन किया गया।

एक ही दिन में सभी कार्य का सम्पादन संदेहास्पद प्रतीत होता है।

3 संचिका के P/1 N में यह स्पष्ट लिखा था कि निविदा प्रकाशित की गयी, परन्तु निविदा की प्रति संचिका में संलग्न नहीं पायी गयी एवं किस दैनिक समाचार पत्र में निविदा निकाली गयी, इसका भी जिक्र P/1N में नहीं पाया गया। अतः निविदा प्रकाशित की गयी या नहीं, यह भी संदेहास्पद प्रतीत होता है।

4 स्टॉक पंजी अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया, अतः स्टॉक पंजी में सामान के प्रविष्टि की जांच नहीं की जा सकी।

उपर्युक्त परिस्थिति में 6460 वसूलनीय है एवं 161480 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

17. वाटर टैंकर, बोलेरो गाड़ी एवं जनरेटर सेट की खरीददारी

वाटर टैंकर, बोलेरा गाड़ी एवं जनरेटर सेट की खरीदारी से संबंधित संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि–

1 बोलेरो गाड़ी– बोलेरो गाड़ी की खरीदारी का निर्णय सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिया गया (27.01.12) तत्पश्चात निविदा निकाली गयी एवं गाड़ी की खरीदारी हुई एवं राशि का भुगतान किया गया।

अंकेक्षण आपत्ति–

1 बिहार वैट अधिनियम के धारा 40(1) के तहत अंतिम भुगतान करते समय, वैट की राशि की कटौती करके ही आपूत्तिकर्त्ता को भुगतान करना था, परन्तु अवलोकन से यह पता चला कि वैट की राशि @13.5% की कटौती नहीं की गयी थी, फलतः राशि 82448 का अधिक भुगतान हुआ, राशि 82448 संबंधित एवं जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है।

2 स्टॉक पंजी में खरीदे गए समानों की प्रविष्टि नहीं दिखायी गयी, जिसे अगले अंकेक्षण में दिखया/प्रस्तुत किया जाए।

2 जेनरेटर सेट– जेनरेटर सेट की (7.5 KVA) की खरीदारी के लिए तीन निविदा प्राप्त हुई।

1	विश्वकर्ता ई0 वर्क्स	76000	15.07.09
2	हनुमान मार्केटिंग	75900	अंकित नहीं
3	मां शान्ति सप्लायर्स	75000	09.07.09

एवं निम्न निविदादाता– मां शांति सप्लायर्स का चयन किया गया। आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा सामानों की आपूर्त्ति की गयी एवं राशि का भुगतान किया गया।

अंकेक्षण आपत्ति–

1 जनरेटर की खरीदारी का निर्णय न तो नगर परिषद की आम सभा में लिया गया और न ही स्थायी समिति की बैठक में लियाा गया। परन्तु जनरेटर की खरीदारी की गयी एवं राशि का भुगतान किया गया, अतः भुगतान की गयी राशि 72115 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

2 बिहार वैट अधिनियम 2005 की धारा 40(1) के तहत वैट की राशि @13.5% की कटौती नहीं की गयी, अतः अधिक भुगतान की गयी राशि 2885 संबंधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

3 वाटर टैंकर– वाटर टैंकर (3000 lt) के खरीदारी के लिए निविदा स्थानीय समाचार पत्र में निकाली गयी। (09.02.11), तत्पश्चात निम्न निविदादाता मां गायत्री एसोसिएट को आपूर्त्ति करने का कार्यादेश निर्गत किया गया। (303/26.03.11) पुनः पता चला कि सामानों की आपूर्ति की गयी एवं राशि का भुगतान किया गया।

अंकेक्षण आपत्ति–

1 बिहार वैट अधिनियम की धारा 40(1) के तहत वैट की राशि @13.5% की कटौती नहीं की गयी, फलतः राशि 7308 का अधिक भुगतान हुआ, जो संबंधित एवं जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है।

2 इस क्रय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निम्न निविदादाता को कार्यादेश निर्गत किया गया, परन्तु आपूर्त्तिकर्त्ता के चलन के समय सामान के specification की जांच किसी भी स्तर पर नहीं की गयी, जिससे सामान की गुणवत्ता संदेह के घेरे में आती है।

specification को ध्यान में रखकर ही निम्न निविदादाता का चलन करना ही एक आदर्श निर्णय माना जाता, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। यह चयन की प्रक्रिया को संदेह के घेरे में डालती है।

18. वकीलों पर भुगतान (0.51 लाख)

लेखापाल रोकड़ बही के अवलोकन से यह पता चला कि वर्ष 2009–10 से 12–13 के बीच नगर परिषद, सहरसा ने वकीलों पर राशि 50750.00 खर्च किया। (विवरणी परिशिष्ट– v(a) पर)

इस व्यय से संबंधित दस्तावेज यथा सूट रजिस्टर कार्यालय एवं वकील के बीच का एकरारनामा लंबित केसों की सूची इत्यादि अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में राशि के भुगतान के सत्यता की सम्यक जांच नहीं की जा सकी।

अगले अंकेक्षण में सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने तक व्यय की गयी राशि 50750.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(140)

19. ग्रेच्युटी का भुगतान (राशि 13.74 लाख)

लेखापाल रोकड़ बही के अवलोकन से यह पता चला कि वर्ष 2009–10 से 12–13 के बीच नगर परिषद, सहरसा ने अवकाश प्राप्त अपने कर्मचारियों के ग्रेच्युटी पर राशि 1374355 का भुगतान किया। (विवरणी परिशिष्ट– VI पर)

इस व्यय से संबंधित दस्तावेज यथा सर्विस बुक अभिश्रव इत्यादि अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में राशि के भुगतान के सत्यता की सम्यक जॉच नहीं की जा सकी। अगले अंकेक्षण में सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने तक व्यय की गयी राशि 1374355.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

20. सरकारी कार्यालयों से किराया वसूली नहीं 7041179

नगर परिषद द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यालयों से 7041179 (विस्तृत विवरण परिशिष्ट–VII पर) किराया की वसूली किया जाना था, परन्तु लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरकारी कार्यालयों द्वारा किराया का भुगतान नहीं किया गया था। अतः 7041179 किराया वसूली हेतु उचित कदम उठाये जाने चाहिए। की वसूली यथाशीघ्र कर अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

21. श्रम उपकर की कटौती नहीं 13923.00

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तदनानुसार बिहार सरकार के असाधारण गजट अधिसूचना सं0– 04/एफ 1/एफ 1–302/2006 श्र.नि.–865 दिनांक 18.08.08 द्वारा श्रम उपकर लागू किया गया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को' निप्रेषित करने का प्रावधान है। परन्तु लेखापरीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2009–10 से 12–13 के दौरान योजनाओं पर 1393278 व्यय किया गया, परन्तु विपत्रों से श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी (विस्तृत विवरण परिशिष्ट– VIII पर), विपत्रों से श्रम उपकर की कटौती नहीं किये जाने के फलस्वरूप राशि कल्याण बोर्ड को नहीं भेजी जा सकी। अतः व्ययतित 1393278 का 1% 13933 की श्रम उपकर कटौती कर राशि यथाशीघ्र कल्याण बोर्ड को भेजा जाए तथा उससे अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

22. फार्म 'एम' एवं 'एन' की प्राप्ति के बिना 1233084 का भुगतान

बिहार सरकार के आदेश सं0 19/pro/03/2005-1813 दिनांक 29.10.05 तथा नियम 40(10) Bihar minor mineral concession rules, 1972 के अनुसार (रॉयल्टी) की हानि, अनियमित खनन से बचने के लिए कोई भी राज्य/केन्द्र सरकार तथा कॉरपोरेशन उस बिल को प्राप्त नहीं करेगा जिसमें खनिजों के लागत को वसूलना हो, जो कार्य के दौरान इस्तेमाल किये गये हो। जबतक कि फार्म 'एम' के रूप में एफिडेविट तथा फार्म 'एन' के रूप में विवरण न दिया गया हो। फार्म 'एम' तथा 'एन' की फोटोकॉपी संबंधित जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी को पुष्टि के लिए भेजा जाना

चाहिए। उस फार्म की पुष्टि होने के बाद भुगतान किया जाना चाहिए। परन्तु नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये संचिका के जॉच में पाया गया कि फार्म 'एम' तथा 'एन' संलग्न नहीं था फिर भी 1233084 बिल भुगतान कर दिया गया। उपरोक्त फार्म की प्राप्ति के बिना भुगतान अनियमित है। अतः फार्म 'एम' तथा 'एन' की प्राप्ति के बिना 12.33 लाख का किये गये भुगतान को अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IX पर)

23. मोबाईल टॉवर से संबंधित राशि की वसूली नहीं

Urban development & housing department के निर्देशानुसार Bihar communication towers and related structures rules, 2012 के ज्ञापांक 585 तथा तिथि 21.02.12 के द्वारा यह निर्धारित कियाा गया है कि नगर परिषद के अनतर्गत कोई मोबाईल टावर स्थापित किया जाता है तो नगर परिषद द्वारा Registration fee के रूप में 40000 उससे वसूल करना है जो उस क्षेत्र के अन्तर्गत टावर स्थापित करता है तथा प्रत्येक वर्ष Renewal fee के रूप में 10000 लिया जाय।

उपर्युक्त नियम के अनुसार नगर परिषद, सहरसा में स्थापित टावर (विस्तृत विवरण परिशिष्ट– X पर) पर 3549375 राशि बकाया थी। अतः उपरोक्त राशि 3549375 को अविलंब कंपनियों से वसूल कर नगर परिषद निधि में जमा कर अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

24. दैनिक वेतन भोगी पर भुगतान (राशि 112.80 लाख)

नगर विकास विभाग ने अपने पत्र सं. 4410/न.वि.वि./दिनांक 01.08.74, 04/07–01–80/79–288 दिनांक 03.02.1981 के द्वारा सरकारी कार्यालय में दैनिक वेतन भोगी के नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। परन्तु लेखापाल रोकड़ बही के अवलोकन से यह पता चला कि अंकेक्षण 2009–10 से 12–13 की अवधि में राशि 11280587 का भुगतान दैनिक वेतन भोगी के पारिश्रमिक पर किया गया, जो अनियमित है। विवरण इस प्रकार है–

क्र.सं.	वर्ष	राशि
1	2009–10	2242059.00
2	2010–11	2483154.00
3	2011–12	2877148.00
4	2012–13	3678226.00
	कुल	11280587.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– XI पर)

पारिश्रमिक भुगतान करने से पहले या वाद में बिहार सरकार से इस संबंध में अनुमोदन लिया गया या नहीं इसका प्रमाण संबंधित संचिका में अनुपलब्ध पाया गया।

अतः स्पष्ट जवाब दिए जाने तक व्यय की गयी राशि 11280587.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(138)

25. असमायोजित अग्रिम

अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया था हालांकि लेखापाल रोकड़ बही के अवलोकन से यह पता चला कि विभिन्न व्यक्तियों को सरकारी कार्य के लिए राशि 601200.00 अग्रिम के रूप में प्रदान की गयी थी। विवरणी इस प्रकार है–

क्र.सं.	वर्ष	राशि
1	2009–10	337000.00
2	2010–11	108700.00
3	2011–12	48500.00
4	2012–13	57000.00
	कुल	601200.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– XII पर)

दिए गए अग्रिम का समायोजन प्रपत्र अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। असमायोजित अग्रिम का समायोजन कर अगले अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाय।

26. कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्तालाप

लेखापरीक्षा के दौरान एवं लेखापरीक्षा की समाप्ति पर प्रमुख बिन्दुओं पर कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्तालाप की गई।

27. लेखापरीक्षा का परिणाम

लेखापरीक्षा के निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए–

1	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गई राशि	शून्य
2	वसूली के लिए सुझाई गई राशि	6269965.00
3	लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी गई राशि	22447649.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– XIII पर)

28. सामान्य अभियुक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में अति सुधार अपेक्षित है। प्रमुख अभिलेख जैसे– मांग एवं वसूली पंजी, वार्षिक लेखा, अनुदान पंजी, संपत्ति पंजी इत्यादि संधारित नहीं थे। पंचायत के विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों की देख– रेख तथा पंचायत कोष में उनका जमा पर पदाधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन तैयार कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार को समर्पित किया जाना चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शिका के पालन की आवश्यकता है।

–हस्ता0–

अमरेन्द्र कुमार

(स0ले0प0अधि0)

–अनुमोदित–

उपमहालेखाकार (एस0एस0– I)

––सह––

स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार

(136)

सं0– एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14455 **दिनांक** 03/12/14

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवदेन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार(लेखापरीक्षा) बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जबाबदेही का दावा नही करता है।

— ह० —

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सोशल सेक्टर –1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0– एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14455/1992 **दिनांक** 03/12/14

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सहरसा

03/12/14
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सोशल सेक्टर –1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

परिशिष्ट – I

अंकेक्षण में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची
(प्रतिवेदन की कंडिका सं० - 3 से संबंधित)

क्रम सं०	विवरण
1.	पी० एल० रोकड़ बही
2.	अन्य रोकड़ बही
3.	रोकड़पाल रोकड़ पंजी
4.	विविध रसीद
5.	फार्म 'एफ' रसीद
6.	दैनिक वसूली पंजी
7.	रसीदों से संबंधित पंजी
8.	कोषागार पासबुक
9.	भंडार पंजी
10.	बंदोबस्ती संचिका
11.	क्रय संचिका (आंशिक)
12.	मोबाईल टावर से संबंधित संचिका
13.	योजना अभिलेख (आंशिक)
14.	योजना संचिका (आंशिक)
15.	बैंक पासबुक / विवरणी (आंशिक)
16.	अभिश्रव (आंशिक)

[signature]

परिशिष्ट – II

संकेताण में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची
(प्रतिवेदन की कंडिका सं० – 3 से संबंधित)

क्रम सं०	विवरण
1.	अग्रिम पंजी
2.	योजना पंजी (आंशिक)
3.	योजना अभिलेख (आंशिक)
4.	कार्यादेश (आंशिक)
5.	नक्शा पंजी एवं संचिका
6.	नाविष्य निधि से संबद्ध प्रमाणक
7.	दुकान किराया पंजी
8.	व्यावसायिक विज्ञापन से संबद्ध संचिका
9.	भंडार पंजी
10.	मुख्य करों से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी
11.	बजट एवं वार्षिक लेखा
12.	संपत्ति पंजी
13.	अनुदान पंजी
14.	मकानों के कर मूल्यांकन से संबद्ध संचिका एवं कर मूल्यांकन प्रपत्र
15.	रूट रजिस्टर
16.	वार्षिक कार्य योजना, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र
17.	जिला योजना समिति द्वारा बी० आर० जी० एफ० की पारित योजनाओं की सूची
18.	बैठक पुस्तिका
19.	सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत संचिका
20.	स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल
21.	वेतन पंजी एवं वेतन निर्धारण प्रपत्र।

(हस्ताक्षर)

(133)

परिशिष्ट -III

प्रा० नि० प्र० के कंडिका - 6 से संदर्भित

रोकड़ बहियों का संव्यवहार वर्ष 2009-10 Dec-

पत्रांक सं०: [illegible]

क्रम सं०	रोकड़ बही का नाम	प्रा० शेष	प्राप्ति अनुदान	स्वयं स्रोत से आय	अन्य	कुल प्राप्ति	व्यय योजना	वेतन व स्थापना	कुल व्यय	अंत शेष
1.	PL	1609408383	15994683	6571190	19214	38679170.83	5353634	10154662	15508296	23170874.83
2.	पि० डी० आ० वि०	6533583	17876000	00	224820	24634403	7442745	00	7442745	17191658
3.	प्रशासनिक भवन निर्माण	1729016	00	00	61668	1790684	1650000	00	1650000	140684
4.	बालिका समृद्धि योजना	50000	00	00	00	50000	1500	00	1500	48500
5.	मिला योजना	633360	00	00	00	633360	00	00	00	633360
6.	एकादश वित्त	98448	00	00	30000	128448	43424	00	43424	85024
7.	एन.एस.डी.पी.	9032325	00	00	00	9032325	277063	00	277063	8755262
8.	विधायक निधि	6256371	1515595	00	93000	7864966	2504170	00	2504170	5360796
	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	796067.98	00	00	00	796067.98	00	00	00	796067.98
10.	सूद पंजी	1635789.85	00	00	159509	1795298.85	00	00	00	1795298.85
		42859044.66	35386378	6571190	588211	88047723.66	17272536	10154662	27427198	57977525.66